राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

निष्पादक समिति की सातवीं बैठक दिनांक 24.02.2011

कार्यवाही विवरण

दिनांक 24.02.2011 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर की निष्पादक समिति की सातवीं बैठक शिक्षा संकुल, जयपुर के प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष (मंथन) में माननीय प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :–

1. श्री अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, जयपुर
2. श्रीमती वीनू गुप्ता, आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर
3. श्री भास्कर ए. सावंत, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त (मा.शि.), जयपुर
4. श्री बी.एल. नवल, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, जयपुर
5. श्री मधुसूदन शर्मा, निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर
6. श्री एच.एस. भारद्वाज, निदेशक, स.शि., जयपुर
7. श्री ललित कुमार गुप्ता, उप सचिव, वित्त विभाग, जयपुर
8. श्री एस.एस. सोहता, उप शासन सचिव, पंचायती राज (ए–2), जयपुर
9. डॉ. मनीषा अरोड़ा, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर
10. श्री तपन कुमार, मैनेजर, राजकॉम, जयपुर
11. श्री जे. एन. वर्मा, अति. निदेशक (आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थय भवन, जयपुर
12. श्री मधु सोरल, संयुक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
13. श्री बी. आर. मीणा, संयुक्त निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
14. श्री देवकी नन्दन शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, आरसीएसई, जयपुर
15. श्री बिन्द्रा सिंह, अधिशाषी अभियन्ता, आरसीएसई, जयपुर
16. श्री अशोक जांगिड़, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 22 गोदाम पुलिया के पास, जयपुर
17. श्रीमती राजेश्वरी कालिया, सहायक निदेशक, आरसीएसई, जयपुर
18. श्रीमती ममता दाधीच, सहायक निदेशक, आरसीएसई, जयपुर
19. श्रीमती रचना शर्मा, सहायक निदेशक, आरसीएसई, जयपुर
20. श्री रवीन्द्र कुमार लाटा, सहायक निदेशक, आरसीएसई, जयपुर
21. श्री आर. आर. हर्ष, कन्सल्टेन्ट, आर.सी.एस.ई., जयपुर
22. श्री एस. एन. मेठी, कन्सल्टेन्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जयपुर
23. श्री रमेश चन्द्र शर्मा, कन्सल्टेन्ट, आरसीएसई, जयपुर

इस बैठक में प्रस्तावित एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा के बाद सर्व सम्मति से किए गए निर्णय निम्न प्रकार हैं –

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
1	**प्रस्ताव सं. 1 – निष्पादक समिति की गत बैठक में लिए गए निर्णयों एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का अनुमोदन** दिनांक 20.09.2010 को आयोजित निष्पादक समिति की छठवीं बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का विवरण Annexure-I में दर्शाकर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	गत बैठक की कार्यवाही के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये विवरण के साथ मॉडल स्कूलों में माध्यम हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को अनुमोदन हेतु अलग से पत्रावली पर भिजवाने का निर्णय लेते हुये शेष निर्णयों की क्रियान्विति को अनुमोदित किया गया।
2	**प्रस्ताव सं. 2 – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना का अनुमोदन** प्रस्ताव सं. 2 पर अनुमोदित की जाने वाली यूनिट लागत के आधार पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत चलने वाले राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना के लेखन कार्य को अंतिम रूप देने के लिये अब तक स्थापित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने व अब तक शिक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विद्यालयों में उपलब्ध करवाये जाने वाली भौतिक सुविधाओं व गुणवत्ता सुधार हेतु निम्न प्रकार सिविल कार्य एवं गतिविधियाँ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है – 1. अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण – राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु प्रति कक्षा कक्ष के लिये 5.625 लाख रूपये की दर से कुल 7705 कक्षा कक्षों का निर्माण करवाने के लिये 43340.625 लाख रूपये की मांग करना। 2. पुस्तकालय व वाचनालय कक्षों का निर्माण – राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुविधा हेतु पुस्तकालय व वाचनालय कक्षों का निर्माण करने के लिये प्रति कक्ष हेतु 7.000 लाख रूपये की दर से कुल 7119 पुस्तकालय कक्षों की स्थापना करने हेतु 49833.000 लाख रूपये की मांग करना। 3. प्रयोगशाला कक्षों का निर्माण – राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु प्रति प्रयोगशाला कक्ष के लिये 6.100 लाख रूपये की दर से कुल 9322 विद्यालयों में प्रयोगशाला कक्षों के लिये 56864.200 लाख रूपये की मांग करना। नव निर्मित प्रयोगशाला कक्षों में प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध करवाना – उक्तानुसार बनने वाली 9322 नवीन प्रयोगशाला कक्षों में प्रति प्रयोगशाला कक्ष 1.000 लाख रूपये की दर से कुल 9322.000 लाख रूपये की राशि की मांग करना। 4. विद्यालयों में कला व क्राफ्ट कक्षों का निर्माण – राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाली छात्राओं के लिये कला व क्राफ्ट कक्षों का निर्माण करने के लिये प्रति कक्ष हेतु 5.000 लाख रूपये की दर से कुल 10126 कला व क्राफ्ट कक्षों का निर्माण करने हेतु 50630.000 लाख रूपये की मांग करना। 5. पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाने – राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु विद्यालयों में वर्षा जल संग्रहण अथवा नल कनेक्शन लेकर जल संग्रहण करने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये 50 हजार रुपये प्रति विद्यालय की दर से कुल 648 विद्यालयों के लिये 324.000 लाख रूपये की राशि की मांग करना।	वार्षिक योजना के निर्माण हेतु प्रस्तुत बिन्दुओं पर निम्न प्रकार निर्णय लिया गया:– 1. प्लान में दर्शाये अनुसार सभी विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार सिविल कार्यों का निर्माण करने का प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजने के स्थान पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राजस्थान की वार्षिक योजना में शामिल करने हेतु निम्न प्रकार प्राथमिकताओं के आधार पर अतिरिक्त कक्षा कक्षों व अन्य भौतिक सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु सिविल कार्यों के लिये विद्यायलों का चयन किया जावे :– (i) जिन विद्यालयों को सिविल निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उन विद्यालयों को इस वर्ष की योजना में सिविल निर्माण कार्य करवाने हेतु वार्षिक योजना में शामिल नहीं किया जावे। (ii) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े प्रत्येक ब्लॉक (ईबीबी) से कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिकतम नामांकन वाली 9 विद्यालयों का चयन किया जाये। (iii) बिना ईबीबी वाले अन्य ब्लॉक में सिविल कार्यों हेतु प्रत्येक ब्लॉक से कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिकतम नामांकन वाली 5 विद्यालयों का चयन किया जावे। (iv) शहरी क्षेत्रों में भी सिविल कार्यों हेतु विद्यालयों का चयन उन विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिकतम नामांकन अनुसार ही किया जावे। शहरी क्षेत्रों में चयन की जाने वाली विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार रखी जावे:– अ) संभाग मुख्यालय का शहर – 5 विद्यालय प्रति शहर ब) जिला मुख्यालय का शहर – 3 विद्यालय प्रति शहर स) ऐसा शहर जो जिला या संभाग का मुख्यालय नहीं है किन्तु जहां नगर परिषद् है – 2 विद्यालय प्रति शहर द) उक्त के अलावा अन्य नगर पालिका क्षेत्र – 1 विद्यालय प्रति शहर

6. कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण करना – राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर कक्षों का निर्माण करवाने हेतु प्रति विद्यालय 5.000 लाख रूपये की दर से कुल 8849 विद्यालयों के लिये 44245.000 लाख रूपये की राशि की मांग करना।
7. विद्यालयों में शौचालय का निर्माण करवाना – राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं आदि के उपयोग हेतु विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 1.000 लाख रुपये प्रति विद्यालय की दर से कुल 2958 विद्यालयों में 2958.000 लाख रूपये की राशि की मांग करना।
8. विद्यालयों में भवन मरम्मत हेतु राशि उपलब्ध करवाना – राज्य के सभी जिलों में पहले से स्थापित विद्यालय भवनों की मरम्मत व नवक्रमोन्नत विद्यालयों के पुराने भवनों की मरम्मत के लिये 2.00 लाख रुपये प्रति विद्यालय की दर से कुल 8694 राजकीय विद्यालयों में भवन मरम्मत हेतु 17388.000 लाख रूपये की राशि की मांग करना।
9. विद्यालय में छोटी मोटी मरम्मत करने हेतु राशि उपलब्ध करवाना – राज्य में स्थित सभी राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवन, उपकरण आदि की मरम्मत हेतु प्रति विद्यालय 25 हजार रूपये की दर से कुल 9000 विद्यालयों हेतु 2250.00 लाख रूपये की राशि की मांग करना।
10. शिक्षक वेतन मद में राशि की मांग करना – वैसे तो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008–09 व 2009–10 में क्रमोन्नत किये गये माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व अन्य कार्मिकों के वेतन हेतु किसी भी प्रकार की राशि उपलब्ध करवाने से यह कहते हुये मना कर दिया गया है कि इन विद्यालयों को प्रारंभ करने के बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राशि की मांग की गई है, अतः इन्हें नवीन विद्यालय मानते हुये शिक्षक वेतन मद में राशि प्रदान करना संभव नहीं है, किन्तु राज्य की पिछड़ी हुई शैक्षिक व वित्तीय स्थिति, अति अल्प जनसंख्या घनत्व, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ आदि के आधार पर इन विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन मद में राशि स्वीकृत करने की मांग पुनः किया जाना प्रस्तावित है।

    शिक्षक वेतन मद हेतु राज्य में स्थित माध्यमिक विद्यालयों में से शून्य शिक्षक संख्या वाली विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात को 30 : 1 तक लाने के लिये आवश्यक शिक्षकों के पदों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलने वाले गतिविधि जिसे पूर्व स्थापित विद्यालयों का सशक्तिकरण कहा जाता है, के तहत स्वीकृत करवाने का प्रयास करते हुये शिक्षक वेतन मद की राशि मांग किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
11. विद्यालयों में वार्षिक अनुदान हेतु राशि उपलब्ध करवाना – राज्य में स्थित सभी राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक कार्यो हेतु प्रति विद्यालय 50 हजार रूपये वार्षिक की दर से कुल 11475 विद्यालयों हेतु 5737.00 लाख रूपये की राशि की मांग करना।
12. नये विद्यालय खोलने व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने हेतु जीआईएस मैपिंग व सर्वे करवाना :– यद्यपि गत वर्षों में लगभग पांच हजार नवीन माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ किये गये हैं, किन्तु अभी भी अनेक क्षेत्र/बस्तियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनके पांच–छः किलोमीटर दूरी में कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं हो अथवा आठ – दस किलोमीटर की दूरी तक कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हो, ऐसी बस्तियों/क्षेत्रों की पहचान करने के लिये सर्वे एवं जीआईएस मैपिंग किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य पर लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि व्यय होने की आशा है।

    अतः उक्तानुसार पांच किलोमीटर की दूरी तक माध्यमिक विद्यालय अथवा आठ से दस किलोमीटर की दूरी तक उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा से वन क्षेत्रों/बस्तियों की पहचान करने हेतु सर्वे एवं जीआईएस मैपिंग करवाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(v) जिलों में उक्त आधार पर चयन में यदि कोई ऐसी विद्यालय पाई जाती है जिसमें नामांकन कम है किन्तु स्थानीय परिस्थितियों /सुविधाओं के अभाव के कारण सिविल कार्य तुरंत कार्य करवाया जाना आवश्यक है तो प्रत्येक जिले से पांच विद्यालयों का अनुभूत आवश्यकता के आधार पर चयन किया जावे। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/माध्यमिक प्रथम/माध्यमिक द्वितीय से प्रस्ताव लेकर वार्षिक योजना में शामिल किये जाये।

(vi) उक्तानुसार चयन करते समय यह देखा जावे कि पूरे राज्य में से कम से कम 60 संस्कृत विद्यालय सिविल कार्यों हेतु चयनित हो जावे।

2. मेजर रिपेयरिंग के प्रस्ताव उन विद्यालयों के लिए भी बनाये जा सकते है जिनमें सिविल कार्य करवाया जा रहा है तथा यह ध्यान रखा जावे कि मेजर रिपेयरिंग हेतु विद्यालयों का चयन करते समय न्यूनतम 10 वर्षों से अधिक पुरानी विद्यालयों के भवनों को प्राथमिकता के आधार पर चुना जावे। अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण के प्रस्ताव बनाते समय यह भी देखा जावे कि मेजर रिपेयरिंग के बाद जितने कक्षा कक्ष उपयोग में आने लायक बन जाये उन्हें उपयोग में लिया जावे तथा नये कक्षा कक्षों की आवश्यकता में से इस प्रकार मरम्मत हो जाने वाले कमरों को हटा दिया जावे, ताकि विद्यालय के भवन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस हेतु प्रत्येक ब्लॉक से 5 विद्यालयों का चयन किया जावे।
3. शिक्षक वेतन मद में मांग करने के लिये उन विद्यालयों का चयन किया जावे जिन विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के अध्यापकों को मूल विभाग में वापस भेजने पर छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 से अधिक हो जाये।
4. जीआईएस मैपिंग का कार्य सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी करवाया जा रहा है, अतः यह निर्णय लिया जाता है कि जीआईएस मैपिंग का कार्य सर्व शिक्षा अभियान के साथ ही किया जावे।
5. कक्षा 9 के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर की पहचान करने हेतु प्रस्तुत की गई दर को पुनः जाँच कर प्रस्ताव बनाया जाये। इस हेतु अन्य राज्यों के प्रस्तावों का भी अध्ययन किया जावे।
6. एज्यूसेट का प्रस्ताव पहले उन विद्यालयों के लिये बनाया जावे जिनमें पहले से ही एज्यूसेट की सुविधा दी हुई है। इन विद्यालयों में एज्यूसेट उपग्रह से शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु तथा उपग्रह आधारित शिक्षण पाठ्य सामग्री का विकास करने हेतु आवश्यक राशि की मांग को वार्षिक योजना के प्रस्तावों में शामिल किया जावे।
7. शेष सभी प्रस्तावों को अनुमोदित करते हुये वार्षिक योजना को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कार्य करने का निर्देश दिया गया।

13. <u>गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रमों हेतु राशि की मांग करना</u> – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा राजस्थान राज्य में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन हेतु निम्न कार्यक्रमों का संचालन करने एवं राशि की मांग करना प्रस्तावित किया जाता है:–

i. शिक्षकों के लिये निम्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये राशि की मांग करना–

a) <u>विषय अध्यापकों को विषय आधारित प्रशिक्षण</u> – माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन करवाने हेतु कक्षा 9 व 10 में अध्यापन करवाने वाले लगभग 10000 विषय अध्यापकों को उनके द्वारा अध्यापन करवाये जाने वाले विषय के कठिन बिन्दुओं व व्यवहार से संबंधित प्रशिक्षण देना। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर एक हजार रुपये प्रति शिक्षक की दर से लगभग 100.00 लाख रुपये व्यय होने की आशा है।

b) <u>शिक्षा अधिकारियों को नेतृत्व क्षमता विकास का प्रशिक्षण</u>– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् से जुड़े राज्य व जिला स्तरीय अधिकारियों तथा माध्यमिक शिक्षा से जुड़े जिला शिक्षा अधिकारी व इससे उच्चतर स्तर के अधिकारियों को नेतृत्व क्षमता विकास का प्रशिक्षण देना। इस हेतु इन अधिकारियों को राज्य के प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण दिलवाया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य पर ओटीएस को दी जाने वाली राशि व अन्य व्ययों हेतु पांच दिवसीय प्रशिक्षण के लिये कुल मिलाकर 5000 रुपये प्रति अधिकारी की दर से लगभग 120 शिक्षाधिकारियों के प्रशिक्षण पर लगभग 6.00 लाख रुपये व्यय होने की आशा है।

c) <u>संस्थाप्रधानों को नेतृत्व क्षमता विकास का प्रशिक्षण देना</u> – राज्य में स्थित राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 3000 चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों को लीडरशिप ट्रेनिंग देना। इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2250 रुपये प्रति संस्थाप्रधान की दर से लगभग 67.50 लाख रुपये व्यय होना प्रस्तावित है।

d) <u>रेडियो कार्यक्रम हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षक करना</u> – बिन्दु संख्या v के अनुसार रेडियो कार्यक्रम स्वीकृत होने पर शिक्षकों को रेडियो द्वारा कक्षा 9 के छात्रों को अंग्रेजी भाषा का शिक्षण प्रदान करने का प्रशिक्षण देना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में जयपुर जिले की लगभग 2900 विद्यालयों में प्रति विद्यालय में एक शिक्षक व प्रति संभागी 200.00 रुपये की दर से लगभग 5.800 लाख रुपये व्यय होने की आशा है।

e) <u>माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण देना</u> –
राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों मे योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये माध्यमिक शिक्षा निदेशक को शामिल करते हुये एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति मे लिये गये निर्णयों के अनुसार योग शिक्षा के प्रसार के लिये निम्न गतिविधियॉ किया जाना आवश्यक है:–

1. माध्यमिक शिक्षा के शारीरिक शिक्षकों को योग शिक्षा देना व उन्हें अपने विद्यार्थियों को योग शिक्षा प्रदान करने का प्रशिक्षण देना।
2. विभागीय तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के समस्त आवासीय प्रशिक्षणों मे योग शिक्षा को प्रातः कालीन व्यायाम गतिविधियों मे सम्मिलित किया जाना।

उक्त गतिविधियों के संचालन हेतु माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शारीरिक शिक्षकों मे से एक चौथाई चयनित शारीरिक शिक्षकों को इस वर्ष योग शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रशिक्षण में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा तैयार मॉड्यूल उपयोग में लेते हुये लगभग 1250 शारीरिक शिक्षकों को मई 2011 मे योग प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य पर 1000.00 रुपये प्रति संभागी की दर से लगभग 12.50 लाख रुपये व्यय होने की आशा है।

ii. कक्षा 9 के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर की पहचान करना :– कक्षा 9 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के अध्ययन स्तर (Learning Levels) की पहचान करने हेतु अध्ययन आयोजित करने के लिये 105.600 लाख रूपये की राशि की मांग किया जाना प्रस्तावित है।

iii. कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन करना व अधिगम स्तर में सुधार करना :– माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को उनके द्वारा अध्ययन किये गये विषयों के अधिगम स्तर (Learning Levels) की पहचान करने व कठिन प्रश्नों का उत्तर स्वयं प्राप्त करने हेतु कम्प्यूटर व इन्टरनेट का उपयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिये प्रायौगिक तौर पर जयपुर जिले में Self Evaluation of Student Learning Level Program प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के संचालन हेतु चिन्हित किये गये प्रोग्राम में एक वेबसाइट संचालक द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से विद्यालयों की सुविधानुसार या उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा तय किये गये कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न विषयों के प्रश्न एक पूर्व निर्धारित समयावधि के लिये वेबसाइट पर उपलब्ध करवाये जाते हैं। विद्यार्थी बिना किसी की सहायता के उन प्रश्नों को हल करते हैं तथा प्रश्न पत्र की समाप्ति के पश्चात अपनी स्थिति, प्रश्नों का सही उत्तर व उन्हें कठिन महसूस होने वाले बिन्दुओं की जानकारी तुरन्त प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न पत्र के उत्तर वे चाहे जितनी बार देख सकते हैं, तथा एक प्रश्न पत्र को आवश्यकता महसूस होने पर दुबारा भी दे सकते हैं। इस कार्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर जिले में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। जयपुर जिले हेतु इस कार्यक्रम में लगभग 70000 विद्यार्थियों हेतु 140.00 लाख रुपये की मांग की जा रही है।

iv. विद्यालयों में शिक्षण की गुणवता की परीक्षा करना :– उक्त बिन्दु संख्या iii के अनुसार स्वीकृत किये जाने वाले कार्यक्रम का विद्यालयों की क्वालिटी की जाँच करने में उपयोग किया जा सकता है, अतः जयपुर जिले में स्थित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्वालिटी जाँच के लिये उक्तानुसार स्वीकृत किये जाने वाले प्रोग्राम का ही उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये अलग से किसी प्रकार की राशि की आवश्यकता नहीं है।

v. एज्यूसेट उपग्रह के द्वारा शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना :– राज्य के प्रत्येक जिले से 20 विद्यालयों का चयन करते हुये कुल 660 विद्यालयों में एज्युसेट उपग्रह के माध्यम से अध्ययन केन्द्र प्रारम्भ करना प्रस्तावित किया जाता है। यह कार्यक्रम वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना में जयपुर व अजमेर संभाग के उन जिलों के लिये प्रस्तावित किया गया था जिनमें शिक्षकों की संख्या न्यून रहती है तथा छात्र शिक्षक अनुपात पिछले कई वर्षों से काफी अधिक रहता आया है। किन्तु, वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना को स्वीकृति देते समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा यह सुझाव दिया गया कि एज्यूसेट उपग्रह का उपयोग उन विद्यालयों में किया जाये जहां पहले से शिक्षक कार्यरत है तो इसकी उपादेयता बढ़ जायेगी। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि इसे शिक्षक प्रशिक्षण में भी उपयोग में लिया जावें। अतः इस सुझाव के अनुसार ही राज्य के सभी जिलों की 660 चयनित विद्यालयों 2.350 लाख रूपये प्रति विद्यालय की दर से कुल 1551.00 लाख रूपये की राशि की मांग किया जाना प्रस्तावित है।

vi. अंग्रेजी भाषा शिक्षण में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करना – अंग्रेजी भाषा के अध्यापन के लिए कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों व शिक्षकों हेतु कम्प्यूटर आधारित ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिनमें विद्यार्थी व शिक्षक अंग्रेजी भाषा की ग्रामर के नियमों, शब्दों के उच्चारण, साधारण बोल–चाल में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों

	आदि को ऑडियो–विजुअल प्रसारण के माध्यम से स्वयं सीख सकते है। इस कार्यक्रम में कम्प्यूटर पर चलने वाला सॉफ्टवेयर, पुस्तके, अभ्यास पुस्तिकाऐं आदि का उपयोग किया जाना शामिल है। इस कार्यक्रम की प्रति कम्प्यूटर लागत लगभग 75 हजार रूपये है, किन्तु यदि इस कार्यक्रम को अधिक मात्रा में खरीदा जाता है तो इसकी कीमत कम भी हो सकती है। इस कार्यक्रम के अब तक के प्रदर्शन बहुत ही प्रभावी रहें है। यह कार्यक्रम गत वर्ष की वार्षिक योजना के साथ प्रस्तुत किया गया था किन्तु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा इस कार्यक्रम को आगामी वर्ष की वार्षिक योजना के साथ प्रोग्राम के प्रजेन्टेशन सहित प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। अतः इस कार्यक्रम को वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना में पुनः सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। 14. <u>परियोजना के संचालन, परिवेक्षण, मूल्यांकन व अनुसंधान हेतु राशि की मांग करना</u> – यद्यपि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना के अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि का 2 प्रतिशत भाग एमएमईआर के रूप में अलग से जारी किया जाता है, किन्तु परियोजना के प्रभावी संचालन, परिवेक्षण, मूल्यांकन व अनुसंधान हेतु यह राशि अत्यंत कम रहती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न गतिविधियों के लिये राशि की आवश्यकता रहती है:– i. वेतन मद ii. स्टेशनरी मद iii. जिला व राज्य स्तरीय अधिकारियों के उपयोग मे आने वाले वाहनों पर होने वाला व्यय iv. जिला व राज्य परियोजना कार्यालय के उपयोग के लिये कार्यालय व्यय v. राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय प्रशिक्षण व कार्यशालायें आयोजित करने पर होने वाला व्यय vi. परियोजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन vii. राज्य व जिला स्तर पर शोध अध्ययन viii. अन्य आकस्मिक व्यय उक्तानुसार एमएमईआर मद में कुल मिलाकर 2200.000 लाख रूपये की राशि की मांग की जाती है। उक्त विवरण के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना का निर्माण कर केन्द्र सरकार के समक्ष यथा समय प्रस्तुत करने का प्रस्ताव तथा यदि वार्षिक योजना में स्वीकृत कार्यों के आधार पर उक्तानुसार एमएमईआर की राशि प्राप्त नहीं होती है तो अतिरिक्त एमएमईआर राशि जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
3	<u>प्रस्ताव सं. 3 – वर्ष 2009–10 की वार्षिक योजना में स्वीकृत विद्यालय अनुदान राशि के वितरण को पुनः निर्धारण करना</u> :– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग की मिनिट्स के अनुसार वर्ष 2010–11 की आरएमएसए की वार्षिक योजना में प्रति विद्यालय 50,000 रू. की दर से 11,474 विद्यालयों हेतु कुल 57.37 करोड़ रू. स्वीकृत किये गये हैं। प्रत्येक विद्यालय हेतु जारी किये जाने वाले 50,000 रू. का व्यय निम्न प्रकार किया जाना प्रस्तावित है:– 1. खेल उपकरण, ड्रेस आदि – 10,000 रू. 2. शिक्षण सामग्री – 3,000 रू. 3. सह शैक्षिक गतिविधियां – 3,000 रू. 4. स्टेशनरी – 4,000 रू. 5. टेलिफोन व इंटरनेट – 10,000 रू.	इस प्रस्ताव पर निम्न तथ्यों पर विशेष रूप से चर्चा की गई– 1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को 25000/– रुपये प्रयोगशालाओं के उपकरण व रसायनों के क्रय/मरम्मत पर व्यय किये जाने है किन्तु विद्यालयों की स्थिति को देखते हुये यह राशि बहुत अधिक प्रतीत होती है। क्योकि अनेक विद्यालयों में प्रयोगशाला सुविधा अथवा नामांकन इतना कम है कि इस राशि के उपकरण व रसायन का भण्डारण व उपयोग बहुत मुश्किल हो जायेगा। गत वर्ष भी इस मद में दी गई राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने में परिषद् व निदेशालय स्तर से बहुत अधिक मॉनिटरिंग करनी पड़ी थी।

6. पानी व बिजली सुविधा – 15,000 रू.
7. आकस्मिक व्यय – 5,000 रू.

यद्यपि भारत सरकार द्वारा उक्तानुसार व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। किन्तु, व्यावहारिक रूप से यह देखा गया है कि राज्य में विद्यालयों की स्थिति व नामांकन में बहुत अधिक अन्तर है। एक तरफ ऐसे विद्यालय हैं, जहां 1,000 से ज्यादा नामांकन है तो दूसरी तरफ ऐसे भी विद्यालय है जहां कुल नामांकन 100 से भी कम है। विद्यालय की आवश्यकताएं नामांकन के अनुसार बढ़ जाती हैं, अतः यह प्रस्तावित किया जाता है, कि विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में राज्य में जारी की जाने वाली कुल राशि का वितरण इस प्रकार किया जाये कि अधिक नामांकन वाले विद्यालयों को अधिक राशि प्राप्त हो तथा कम नामांकन वाले विद्यालयों को अपेक्षाकृत कम राशि प्राप्त हो। इस पुनर्वितरण को निम्न प्रकार प्रस्तावित किया जाता है –

1. विद्यालय में 150 तक नामांकन होने पर – अधिकतम 35,000 रू. प्रति विद्यालय
2. विद्यालय में 150 से अधिक व 300 तक नामांकन होने पर – अधिकतम 45,000 रू. प्रति विद्यालय
3. विद्यालय में 300 से अधिक व 800 तक नामांकन होने पर – अधिकतम 70,000 रू. प्रति विद्यालय
4. विद्यालय में 800 से अधिक नामांकन होने पर – अधिकतम 1,00,000 रू. प्रति विद्यालय

इसी प्रकार उक्तानुसार दर्शाए गए मदवार व्यय विवरण को भी पुनः व्यवस्थित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि विद्यालयों को जारी की जाने वाली राशि का उक्त सीमा के अनुसार व्यय किया जाना तथा पुस्तकालय व वाचनालय में पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त विवरण के अनुसार विद्यालय वार्षिक अनुदान में जारी की जाने वाली राशि के पुनः निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को 15000/– रुपये विद्युत व पेयजल सुविधा हेतु व्यय किया जाना है, किन्तु राज्य में अनेक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन अथवा पेयजल कनेक्शन ही उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों के लिये 15000/– रुपये की राशि का सदुपयोग होना संभव नहीं लगता है।
3. उक्त वित्तीय स्वीकृति के अनुसार विद्यालयों में पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं आदि के क्रय हेतु 10000/– रुपये व्यय किया जाना है। इस मद में भी विद्यालय के नामांकन व उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार अनेक विद्यालयों में पूरी राशि का उपयोग हो पाना संभव नहीं होगा।

उक्त तथ्यों पर विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये :–

1. विद्यालयों को विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में दी जाने वाली राशि विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नामांकन के अनुसार निम्नानुसार वितरित की जावे–
   अ) 150 तक नामांकन होने पर – अधिकतम 43,000/–रु. प्रति विद्यालय
   ब) 150 से अधिक व 300 तक नामांकन होने पर – अधिकतम 50,000/–रु. प्रति विद्यालय
   स) 300 से अधिक व 800 तक नामांकन होने पर – अधिकतम 70,000/–रु. प्रति विद्यालय
   द) 800 से अधिक नामांकन होने पर – अधिकतम 1,00,000/–रु. प्रति विद्यालय
2. विद्यालयों को उक्त सीमा में उनकी आवश्यकता के अनुसार निम्न गतिविधियों पर विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में राशि व्यय करने की सुविधा दी जावे–
   1. पुस्तकालय हेतु पुस्तकें व पत्र–पत्रिकाऐं क्रय किया जाना
   2. विद्यालय में रसायनों/प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत/क्रय
   3. पानी व बिजली सुविधा
   4. खेल उपकरण, ड्रेस आदि
   5. शिक्षण सामग्री
   6. सह शैक्षिक गतिविधियां
   7. स्टेशनरी
   8. टेलिफोन व इंटरनेट
   9. आकस्मिक व्यय
3. उक्तानुसार विद्यालय वार्षिक अनुदान मद की राशि का पुनर्वितरण करते हुये इस निर्णय की सूचना से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को अवगत कराया जावे।

4	<u>प्रस्ताव सं. 4 – वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना में स्वीकृत किये गये कमरों के निर्माण हेतु निविदायें आमन्त्रित करना</u> :– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग की मिनिट्स के अनुसार वर्ष 2010–11 राजस्थान की 951 विद्यालयों में 1201 अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में वर्ष 2010–11 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1000 अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के अनुरूप राज्य सकरार द्वारा जारी 8.75 करोड़ रुपये की राशि परिषद् को प्राप्त भी हो चुकी है। किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना में स्वीकृत किये गये कार्यों के विरूद्ध अभी तक किसी भी प्रकार की राशि जारी नहीं की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त अनौपचारिक संकेतों के अनुसार सिविल कार्यों हेतु इस वित्तीय वर्ष में कोई राशि जारी नहीं की जायेगी। उक्त परिस्थितियों के मध्य नजर यह प्रस्तावित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि के आधार पर वार्षिक योजना में स्वीकृत कमरों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाये तथा केन्द्र सरकार द्वारा राशि प्राप्त होने की आशा में इन कमरों के निर्माण की कार्यवाही निविदा प्रक्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद आरंभ कर दी जाये, ताकि राज्य व केन्द्र सरकार से शेष राशि प्राप्त होने पर उसका यथा समय उपयोग करना एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की पालना करवाना सुनिश्चित किया जा सके। अतः राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना के सन्दर्भ में पूर्व जारी की गई राज्यांश की राशि का उपयोग योजना में स्वीकृत कमरों के निर्माण हेतु उपयोग में लेने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राजस्थान की वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना में स्वीकृत सिविल कार्यों के निर्माण हेतु आवश्यक राशि अप्रेल, मई, 2011 में जारी करने की संभावना को देखते हुये राज्यांश के रूप में जारी राशि के आधार पर वार्षिक योजना 2010–11 में स्वीकृत सिविल कार्यों की निविदायें आमंत्रित करते हुये कक्षा कक्ष निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने का निर्णय किया गया।
5	<u>प्रस्ताव सं. 5 – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना में स्वीकृत राशि का शपथ–पत्र व **Resolution** मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भिजवाना</u> राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकृत राशि का शपथ–पत्र व Resolution केन्द्र सरकार को भिजवाना होता है। अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत की जाने वाली वार्षिक योजना की राशि प्राप्त करने के लिये भिजवाये जाने वाले शपथ–पत्र व Resolution को आवश्यकता होने पर इस प्रस्ताव के तहत भिजवाने की स्वीकृति मांगते हुए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
6	<u>प्रस्ताव सं. 6 – निर्माण कार्यों हेतु आरएमएसए के फ्रेम वर्क के एनेक्सर में दर्शाई गई लम्बाई चौड़ाई के स्थान पर विद्यालय विशेष की परिस्थितियों के अनुसार निर्माण कार्य करवाना</u> राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यों हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी फ्रेम वर्क के एनेक्सर 2 में कक्षा कक्षों आदि की साईज 7 मीटर X 7 मीटर दर्शाई गई है, किन्तु कक्षा कक्षों के लिये वर्गाकार आकृति के कमरे उचित नहीं रहते हैं। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से सम्पर्क करने पर अनौपचारिक रूप से अधिकारियों द्वारा आयताकार कक्षा कक्षों के निर्माण व विद्यालय विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही निर्माण कार्य करवाने का सुझाव दिया गया है। इसके अनुरूप ही विद्यालयों को यह निर्देश दिया जाना प्रस्तावित है कि आरएमएसए फ्रेम वर्क में दर्शाये गये निर्माण क्षेत्रफल व सर्कुलेशन क्षेत्रफल की पालना करते हुये वे अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्माण कार्य करवायें। अतः विद्यालयों को निर्माण कार्य करवाने हेतु जारी निर्देशों में इस निर्देश को शामिल करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

7 **प्रस्ताव सं. 7 – माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु अलग से तकनीकी शाखा स्थापित करना**

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में सिविल निर्माण कार्यों हेतु पूर्व में स्वीकृत पद अपर्याप्त प्रतीत हो रहे हैं। इन पदों में वृद्धि एवं पुनर्वितरण किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में स्वीकृत पदों व नव प्रस्तावित पदों पर होने वाले संभावित व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	पद नाम	वर्तमान में स्वीकृत			प्रस्तावित संशोधित स्वीकृति		
		संख्या	अनुमानित व्यय (रू. लाख) प्रतिवर्ष	विशेष विवरण	संख्या	अनुमानित व्यय (रू. लाख) प्रतिवर्ष	विशेष विवरण
1.	अधिक्षण अभियंता	0	0	प्रतिनियुक्ति पर	2	16.80	प्रतिनियुक्ति पर
2.	अधिशाषी अभियंता	1	7.20	प्रतिनियुक्ति पर	9	64.80	प्रतिनियुक्ति पर
3.	सहायक अभियंता	34	224.40	प्रतिनियुक्ति पर	35	231.00	प्रतिनियुक्ति पर
4.	कनिष्ठ अभियंता	35	168.00	प्रतिनियुक्ति पर	85	204.00	संविदा पर
5.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2	1.44	एजेन्सी से	9	6.48	एजेन्सी से
6.	कनिष्ठ लिपिक	0	0.00	प्रतिनियुक्ति पर	8	14.40	प्रतिनियुक्ति पर
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	34	16.32	एजेन्सी से	41	19.68	एजेन्सी से
8.	खण्डीय लेखाधिकारी	0	0.00		8	33.60	संविदा पर
9.	वाहनों पर व्यय	0	0.00		41	66.42	संविदा पर
10.	क्वालिटी कन्ट्रोल प्रयोगशाला/ कार्यालय का किराया में बिजली पानी	0	0.00		90	81.00	
11.	विविध कार्यालय व्यय	0	0.00	0	123	36.90	
	योग	**106**	**417.36**		**451**	**775.08**	

उक्तानुसार पद स्वीकृत होने पर सिविल कार्यों हेतु स्वीकृत राशि में से चार प्रतिशत राशि का उपयोग इन पदों व कार्यालयों पर किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं में प्राप्त स्वीकृतियों का विवरण निम्न प्रकार है:–

इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद निम्न निणर्य लिये गये :–

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एमएमईआर की राशि को सर्व शिक्षा अभियान के समान 7 प्रतिशत करने का पत्र लिखा जावे।
2. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत होने वाले सिविल कार्यों में स्वीकृत व जारी होने वाली राशि का 3 प्रतिशत भाग कंटेंजेन्सी व एक प्रतिशत भाग गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में सिविल कार्यों के कियान्वयन हेतु उपयोग में लिया जावे।
3. आरएमएसए व संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की सिविल शाखा को सर्व शिक्षा अभियान से अलग करके नये सिरे से स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करते हुये संशोधित पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वित्त विभाग को प्रकरण बना कर प्रस्तुत किया जावे।
4. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में होने वाले मॉडल स्कूलों के कार्य किसी बाहरी एजेन्सी से करवाये जाने के कारण राज्य स्तर पर दो अधीक्षण अभियंताओं के स्थान पर एक, दो अधिशाषी अभियंताओं के स्थान पर एक तथा दो सहायक अभियंताओं के स्थान पर एक सहायक अभियंता रखा जावे। इस प्रकार निम्नानुसार पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये जावें:–

क्र. सं.	पद नाम	संख्या	विशेष विवरण
1.	अधिक्षण अभियंता	2	प्रतिनियुक्ति पर
2.	अधिशाषी अभियंता	9	प्रतिनियुक्ति पर
3.	सहायक अभियंता	35	प्रतिनियुक्ति पर
4.	कनिष्ठ अभियंता	85	संविदा पर
5.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	9	एजेन्सी से
6.	कनिष्ठ लिपिक	8	प्रतिनियुक्ति पर
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	41	एजेन्सी से
8.	खण्डीय लेखाधिकारी	8	संविदा पर

5. उक्तानुसार पद स्वीकृत होने पर भी इन पदों पर नियुक्ति तथा वाहनों व क्वालिटी कन्ट्रोल पर केवल आवश्कयतानुसार ही व्यय किया जावे।

क्र.स.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाख)	विशेष विवरण
1	बालिका छात्रावास (186)	7207.50	
2	मॉडल स्कूल (95)	28690.00	रू. 32.60 करोड़ परिषद् को प्राप्त हो चुके हैं।
3	आरएमएसए में पुरानी विद्यालयों की स्ट्रेन्थनिंग के कार्य (951)	20747.00	
4	आरएमएसए में पुरानी विद्यालयों में मेजर रिपेयर कार्य (426)	822.07	
	योग	57466.57	

इन पदों पर होने वाला व्यय कार्य की कन्टीनजेन्सी (3.00 प्रतिशत) एवं क्वालिटी कन्ट्रोल (1.00 %) के तहत किया जाना प्रस्तावित है। अब तक प्राप्त स्वीकृतियों के अनुसार बालिका छात्रावास, मॉडल स्कूल व आरएमएसए योजनाओं में उक्तानुसार 4 % राशि की संभावित उपलब्धता निम्नानुसार हैः–

(1.) बालिका छात्रावास – रू. 288.30 लाख (एक मुश्त राशि)
(2.) मॉडल स्कूल – रू. 1147.60 लाख (एक मुश्त राशि)
(3.) स्ट्रेन्थिंग कार्य – रू. 829.88 लाख (अनुमानित राशि प्रतिवर्ष)
(4.) मेजर रिपेयर – रू. 32.88 लाख (अनुमानित राशि प्रतिवर्ष)

कुल योग – रू. 1435.90 लाख एक मुश्त व 862.76 लाख रु. प्रति वर्ष

8 <u>प्रस्ताव सं. 8 – मॉडल स्कूल योजना निर्माण हेतु कियान्वयन एजेन्सी निर्धारित करना</u>

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चल रही मॉडल स्कूल योजना में 91 मॉडल स्कूल निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा प्रथम किश्त की केन्द्रांश के रूप में 32.65 करोड़ रुपये की राशि परिषद् को प्राप्त हो चुकी है। इस राशि के मैचिंग शेयर के रूप में राज्य सरकार भी रुपये 10.88 करोड़ शीघ्र ही जारी करने वाली है।

प्रत्येक मॉडल स्कूल की निर्माण लागत लगभग 3.02 करोड़ रुपये है। अतः इन विद्यालयों के निर्माण में बहुत अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत होने वाले सिविल कार्यों के प्रभावी कियान्वयन व मॉनिटरिंग हेतु सर्व शिक्षा अभियान की सिविल शाखा का सहयोग लिया जा रहा है। किन्तु, इन मॉडल विद्यालयों की इकाई लागत व भवन निर्माण की महत्ता को देखते हुये सर्व शिक्षा अभियान की सिविल शाखा द्वारा इन 91 मॉडल स्कूलों के निर्माण में दक्ष इंजिनियरों या अन्य किसी अनुभवी सरकारी विभाग का सहयोग लेने का प्रस्ताव दिया गया है।

उक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने व अन्य विभागों से सम्पर्क करने पर दो प्रस्तावों को अधिक उपयुक्त पाया गया है। इन प्रस्तावों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. **राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (RSRDC) के माध्यम से कार्य करवाना :–** इस विकल्प के लाभ व हानियों का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार हैः–

इस प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि मॉडल स्कूल निर्माण का कार्य बहुत अधिक लागत का होने व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्/सर्व शिक्षा अभियान में सिविल शाखा के इंजिनियरों को पर्याप्त अनुभव नहीं होने के कारण मॉडल स्कूलों के निर्माण का कार्य किसी बाहरी एजेन्सी से करवाने हेतु प्रकरण अलग से प्रस्तुत किया जावे।

आरएसआरडीसी से कार्य करवाने के लाभ	आरएसआरडीसी से कार्य करवाने की हानि
(1) कार्यों का गुणवतापूर्वक सम्पादन संभव हो सकेगा। (2) आरएसआरडीसी के पास पूर्ण तकनीकी ज्ञान होने के कारण शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सिविल कार्यो पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा वे शिक्षा से जुडी गतिविधियों पर ध्यान दे पायेंगे।	(1) आरएसआरडीसी को एजेन्सी चार्ज के रूप में निर्माण लागत की लगभग 9 प्रतिशत राशि के बराबर भुगतान करना होगा। राज्य में बनने वाले 186 मॉडल विद्यालयों के लिये यह राशि लगभग 50.55 करोड़ रुपये होगी। इसके अतिरिक्त निर्माण से संबंधित वास्तविक खर्चे में बढ़ोतरी (Tender Premium) का भुगतान भी करना पडेगा। वर्तमान वर्ष में यह बढ़ोतरी लगभग 10 प्रतिशत की है। (2) मॉडल स्कूल के निर्माण हेतु कार्य कन्टेन्जेन्सी (3.00 प्रतिशत) एवं क्वालिटी कन्ट्रोल (1.00 प्रतिशत) के तहत मात्र रू. 1147.60 लाख का ही प्रावधान है। अतिरिक्त रू. 1325.78 लाख का प्रावधान राज्य सरकार को अपने संसाधनों से करना पडेगा।

आरएसआरडीसी के माध्यम से संभावित व्ययः–

91 (मॉडल स्कूल) X रू. 302 लाख (प्रति स्कूल लागत) X 0.09 (9 प्रतिशत एजेन्सी चार्ज) = रू. 2473.38 लाख

2. **आरएमएसए की अलग तकनीकी शाखा के माध्यम से** :– प्रस्ताव संख्या 6 के अनुसार आरएमएसए में अलग से तकनीकी शाखा की स्थापना कर इस शाखा से मॉडल स्कूल के निर्माण कार्य करवाये जायें। इस विकल्प के लाभ हानि निम्न प्रकार हैः–

आरएमएसए की सिविल शाखा से कार्य करवाने के लाभ	आरएमएसए की सिविल शाखा से कार्य करवाने की हानि
(1) कम व्यय में कार्यो का संपादन (2) कार्यो के निष्पादन पर विभागीय नियंत्रण (3) स्वतंत्र तकनीकी शाखा के माध्यम से समय पर गुणवत्ता पूर्वक तरीके से कार्यो को पूर्ण कर लिया जायेगा । (4) उपरोक्त व्यय कार्य मद में कार्य कन्टीन्जेन्सी (स्वीकृति का 3 प्रतिशत प्रावधान) एवं क्वालिटी कन्ट्रोल (स्वीकृति का 1 प्रतिशत प्रावधान) के तहत किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु रू. 1147.60 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, जबकि चारो प्रकार की योजनाओं हेतु संभावित व्यय रू. 775.08 लाख होगा। अतः राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनो या आरएमएसए योजना के एमएमईआर के प्रावधानों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।	(1) अन्य विभागों से अथवा अनुबंध के आधार पर अभियन्ताओं की सेवाये लेने के लिये विशेष प्रयास करने होंगे तथा यदि इन प्रयासों के बाद भी पद रिक्त रहते है तो कार्य सम्पादन में परेशानी आयेगी। (2) परिषद् के द्वारा नियुक्त अभियन्ताओं के माध्यम से कार्य करवाने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी सिविल कार्यों के निर्माण में सतत रूप से भागीदारी निभानी होगी।

उक्त विवरण के अनुसार मॉडल स्कूलों निर्माण कार्यों के कियान्वयन व मॉनिटरिंग हेतु आरएसआरडीसी के माध्यम से काम करवाना या आरएमएसए की तकनीकी शाखा को सुदृढ़ कर अभियंताओं को नियुक्ति कर कार्य करवाने के विकल्पों में से किसी एक विकल्प को स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

9	**प्रस्ताव सं. 9 – पर्सपेक्टिव प्लान हेतु नियुक्त कन्सल्टेन्ट की कार्यावधि को बढ़ाना तथा मॉडल स्कूल योजना निर्माण हेतु कन्सल्टेन्ट नियुक्त करना** वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत श्री रामरतन हर्ष को 31.01.2011 तक तथा श्री रमेश चन्द शर्मा को 30.06.2011 तक कन्सल्टेन्ट के पद पर नियुक्ति दी हुई है। श्री हर्ष को राज्य के पर्सपेक्टिव प्लान के निर्माण का कार्यभार दिया गया है। इनके द्वारा पर्सपेक्टिव प्लान के निर्माण का कार्य अन्तिम चरण में है तथा इसके 31.03.2011 तक पूर्ण होने की संभावना है। परिषद् के अन्तर्गत चल रही मॉडल स्कूलों के स्टेण्डर्ड ड्राईंग, स्ट्रक्चरल डिजाईन, डीपीआर, मॉडल आदि बनाने के लिये वर्तमान में कोई आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल डिजाईन इंजिनियर नियुक्त नहीं है, ना ही इस प्रकार का पद स्वीकृत है जबकि उक्त कार्य करवाने में बहुत अधिक श्रम व राशि व्यय होती है। अतः मॉडल स्कूल योजना में उक्त कन्सल्टेन्ट नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
10	**प्रस्ताव सं. 10 – केन्द्र सरकार द्वारा बालिका छात्रावास योजना अन्तर्गत निर्मित 74 बालिका छात्रावासों का संचालन वर्ष 2011–12 से प्रारंभ करना** केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 व 2009–10 में स्वीकृत किये गये कुल 74 बालिका छात्रावासों के निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इन छात्रावासों में बालिकाओं को प्रवेश देकर इनका संचालन प्रारंभ किया जा सकता है। अतः इन 74 बालिका छात्रावासों में बालिकाओं को प्रवेश देकर इनका संचालन प्रारंभ करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	इस प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुये यह निर्णय लिया गया कि आयुक्त (राप्राशिप) एवं राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक पत्र जारी हो जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से आने वाली छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा के बालिका छात्रावासों में शत प्रतिशत प्रवेश दिये जाने के निर्देश शामिल हों।
11	**प्रस्ताव सं. 11 – बालिका छात्रावासों में छात्रावास वार्डन सहायिका का पद अनुबन्ध के आधार पर भरने व व्यय स्वीकृत करने बाबत** बालिका छात्रावास संचालन/व्यवस्था देखने के लिए छात्रावास वार्डन के रूप में महिला शिक्षक को प्रतिनियुक्त किया जायेगा। इस वार्डन को छात्रावास संचालन/व्यवस्था सम्बन्धी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करना होता है। अनेक अवसरों पर वार्डन छात्रावास से बाहर अन्य कार्यों हेतु प्रस्थान करती है अथवा अवकाश पर रहती है। इसके साथ ही यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि किशोर वर्ग की बालिकाओं की प्रायः अनेक **व्यक्तिगत समस्याऐं** भी होती है जिनका सामना अकेले वार्डन को करना कठिन होगा। ऐसी स्थिति में वार्डन के साथ यदि सहयोगी होगी तो विपरीत परिस्थितियों से बचा जा सकता है। बालिका छात्रावासों के संचालन में **लिपिक/स्टोर कीपर का भी प्रावधान नहीं है** ऐसी स्थिति में सहयोगी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। **वार्डन की अनुपस्थिति में सहयोगी** जहां छात्रावास व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक सिद्ध होगी वही वार्डन भी स्वयं को अधिक सशक्त महसूस कर सकेगी जिससे हमें बालिका छात्रावास संचालन में आशातीत परिणाम मिल सकेगें। अतः बालिका छात्रावास में वार्डन के सहयोग एवं उसकी अनुपस्थिति में छात्रावास की व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु किसी स्थनीय महिला को पूर्णकालिक छात्रावास परिसर आवास में सहायिका के रूप में रहने की शर्त पर एजेन्सी के माध्यम से अनुबन्ध पर लगाया जाना उचित होगा। इस कार्य हेतु वार्डन सहायिका को प्रतिमाह 3000/– रुपये दिये जाने प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मानदण्ड में इस मद हेतु बजट का प्रावधान नहीं किया गया है अतः यह व्यय राज्य सरकार के द्वारा किये जाने हेतु प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।	इस प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि बालिका छात्रावासों में अनुबंध के आधार पर वार्डन साहयिका का पद स्वीकृत करने व राज्य सरकार द्वारा व्यय वहन करने हेतु प्रकरण बना कर प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

12	**प्रस्ताव सं. 12 – बालिका छात्रावास छात्राओं के बिस्तर (Bedding) की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था किये जाने के क्रम में** भारत सरकार द्वारा दिये गये बालिका छात्रावास के दिशा–निर्देशों में अनावर्ती मद (Non-recurring) के बिन्दु संख्या 6 में छात्राओं के बिस्तर हेतु रुपये 750/– प्रति छात्रा बजट का प्रावधान है जबकि 1 गद्दा, 1 रजाई, 2 तकिये मयकवर एवं 2 चद्दरों की बाजार कीमत लगभग 2300 रुपये है। अतः अन्तर राशि जो लगभग 1550 रुपये है का प्रावधान राज्य सरकार के स्तर पर किये जाने के मद्देनजर प्रकरण निष्पादक समिति के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	बालिकाओं को दिये जाने वाले बिस्तरों हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्वीकृत दरों व खादी भण्डार की दरों में अन्तर के आधार पर अतिरिक्त राशि राज्य सरकार से प्राप्त करने हेतु प्रकरण अलग से प्रस्तुत किया जावे।
13	**प्रस्ताव सं. 13 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बालिका छात्रावासों का नाम (टाईटल) दिये जाने के कम में** वर्तमान में राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कई प्रकार के छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जैसे अनुसूचित जनजाति छात्रावास, समाज कल्याण छात्रावास, सम्भाग एवं जिला स्तरीय बालिका छात्रावास, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय आदि–आदि। इसी प्रकार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा भी कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित किये जाने के मद्देनजर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बालिका छात्रावासों की स्थापना की जा रही है। जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इन बालिका छात्रावासों को अधिकाशंतः कस्तूरबा गाँधी बालिका छात्रावास के नाम से सम्बोधित किया जाता है जिससे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा चलाये जा रहे बालिका छात्रावास के नाम को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। अतः राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत संचालित बालिका छात्रावास को **"राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बालिका छात्रावास"** के नाम से सम्बोधित किया जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	छात्रावासों के नामकरण हेतु चार–पाँच नाम सुझाते हुये प्रकरण अलग से प्रस्तुत किया जावे।
14	**प्रस्ताव सं. 14 – अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु**	

राज्य परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर